(11)
(b) possessing the educational qualifications and experience as below : (i) Matriculation or equivalent pass from a recognised Board; and (ii) two years' experience of working in a Library of the Central Government or of a recognised Institution. **Note 1 :** Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organization or departments of the Central Government shall not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of the receipt of applications. **Note 2 :** For the purpose of computing minimum qualifying service for appointment on deputation basis the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendation has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendation of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[F. No. 39021/2/2011-Estt. (B)]

RAKESH MOZA, Under Secy.

Note : The Principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* G.S.R. 81, dated the 9th February, 1991 and subsequently amended *vide* G.S.R. 306, dated the 12th August, 2000.

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 2011

सा.का.नि. 310.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग (स्वागत अधिकारी) भर्ती नियम, 2001 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संघ लोक सेवा आयोग (स्वागत अधिकारी) भर्ती (संशोधन) नियम, 2011 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. संघ लोक सेवा आयोग (स्वागत अधिकारी) भर्ती नियम, 2001 में,—

(i) नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट है ।

(ii) नियम 3 में, "स्तंभ 5 से स्तंभ 14" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "स्तंभ 5 से स्तंभ 13" शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

(iii) अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :—

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
स्वागत अधिकारी	01*(2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-2, (9300—34800 रु.) और ग्रेड वेतन 4600 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	पुनर्नियोजित सशस्त्र बलों के कार्मिकों के लिए दो वर्ष ।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाले रिक्त पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति सशस्त्र बलों के कार्मिकों के लिए :— प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन	**I. प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति :** केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी : (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं; या (ii) जो मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. और ग्रेड वेतन 4200 रु. में नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा कर चुके हों; और (ख) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री रखते हों या समतुल्य । **II. सशस्त्र बलों के कार्मिकों के लिए—पुनर्नियोजन/प्रतिनियुक्ति :** सशस्त्र बल के ऐसे कनिष्ठ कमीशन प्राप्त ऑफिसर या समतुल्य पंक्ति के कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवा निवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास प्रतिनियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं । यदि चयन कर लिया जाता है तो ऐसे अधिकारियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है, तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है यदि ऐसे उपयुक्त ऑफिसर पद पर वास्तविक चयन किए जाने से पूर्व सेवानिवृत्त हो गए हैं या उन्हें रिजर्व पर स्थानांतरित कर दिया गया है उसकी नियुक्ति पुनर्नियोजन के आधार पर होगी । (सिविल पदों के प्रतिनिर्देश से अधिवर्षिता की आयु तक पुनर्नियोजन)

(11)

टिप्पण 1 : ऐसे विभागीय अधिकारी जो श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा के साथ वेतन बैंड-2, 9300–34800 और ग्रेड वेतन 4200 रु. में स्वागत अधिकारी का पद धारण कर रहे हैं, उन पर बाह्य व्यक्तियों के साथ विचार किया जाएगा और यदि पद पर नियुक्ति के लिए उनका चयन हो जाता है तो पद प्रोन्नति द्वारा भरा समझा जाएगा ।

टिप्पण 2 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 4 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 5 : प्रोन्नति के लिए, न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए, 1 जनवरी, 2006 या वह तारीख जिसको छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी ।

टिप्पण 6 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, 1 जनवरी, 2006 या वह तारीख जिसको छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी । सिवाय इसके जहां एक सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक या एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का एक ग्रेड में विलय किया गया है और जहां यह फायदा केवल उस पद या उन पदों को विस्तारित होगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)	(14)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुनर्नियोजित सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए पुष्टि पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :— 1. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष 2. अपर सचिव (प्रशासन, नियुक्ति, साधारण सेवा-1 और भर्ती नियम), संघ लोक सेवा आयोग —सदस्य 3. संयुक्त सचिव (प्रशासन), —सदस्य	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

[फा. सं. 39021/5/91-स्था. (बी.)]

राकेश मोज़ा, अवर सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम संख्या सा.का.नि. 262, तारीख 15 मई, 2001 द्वारा प्रकाशित किए गए तत्पश्चात् निम्नलिखित संख्यकों द्वारा संशोधन किए गए :—

1. सा.का.नि. 671 तारीख 3 दिसम्बर, 2001
2. सा.का.नि. 181 तारीख 24 मई, 2005
3. सा.का.नि. 205 तारीख 8 अगस्त, 2006

New Delhi, the 8th November, 2011

G.S.R. 310.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Union Public Service Commission (Reception Officer) Recruitment Rules, 2001, namely :—

1. (1) These rules may be called the Union Public Service Commission (Reception Officer) Recruitment (Amendment) Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Union Public Service Commission (Reception Officer) Recruitment Rules, 2001,—

(i) for rule 2, the following rule shall be substituted, namely :—

"2. Number of post, classification and Pay Band and Grade Pay or Pay Scale.—The number of post, classification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.";

(ii) in rule 3, for the words and figures "column 5 to 14", the words and figures "column 5 to 13" shall be substituted;

(iii) for the Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely :—

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Reception Officer	01* (2011) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-2, (Rs. 9300—34800) and Grade Pay Rs. 4600	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any
(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Two years for Re-employed Armed Forces Personnel

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption is to be made
(10)	(11)
Promotion/Deputation For Armed Forces Personnel : Deputation/Re-employment	**I. Promotion or Deputation :** Officers of the Central Government,— (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or

(ii) with five years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the Pay Band-2 of Rs. 9300-34800 with grade pay of Rs. 4200 or equivalent in the parent cadre or department; and

(b) possessing a degree of a recognised University or equivalent.

II. For Armed Forces Personnel :

Deputation/Re-employment : The Armed Forces Personnel of the rank of Junior Commissioned Officer or equivalent who are due to retire or to be transferred to reserve within a period of one year and possessing qualifications and experience prescribed for deputationists shall also be considered and if selected, such officers shall be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces and thereafter, they may be continued on re-employment terms. In case such eligible officers have retired or have been transferred to reserve before the actual selection to the post is made, their appointment shall be on re-employment basis (re-employment upto the age of superannuation with reference to civil posts).

Note 1 : The Departmental Officer holding the post of Receptionist in the Pay Band-2 Rs. 9300—34800 and Grade Pay of Rs. 4200 with five years' regualr service in the grade shall also be considered along with outsiders and in case he is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion.

Note 2 : Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 3 : Period of deputation including period of deputation to another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 4 : The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of the receipt of applications.

Note 5 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendation has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission.

Note 6 : For the purpose of appointment on deputation basis the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendation has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition		Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(12)		(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation of re-employed Armed Forces Personnel) consisting of :—		Consultation with the Union Public Service Commission is necessary.
1. Secretary, Union Public Service Commission	—Chairman	
2. Additional Secretary (Administration, Appointment, General, Services-I and Recruitment Rules) Union Public Service Commission	—Member	
3. Joint Secretary (Administration)	—Member	

[F. No. 39021/5/91-Estt. (B)]

RAKESH MOZA, Under Secy.

Foot Note : The Principal rules were published *vide* number G.S.R. 262, dated the 15th May, 2001 and subsequently amended *vide* Number—

1. G.S.R. 671, dated the 3rd December, 2001;
2. G.S.R. 181, dated the 24th May, 2005;
3. G.S.R. 205, dated the 8th August, 2006.

नागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली, 25 अक्तूबर, 2011

सा.का.नि. 311.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रेल संरक्षा आयोग निजी सहायक (आशुलिपिक) भर्ती नियम, 2001 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, नागर विमानन मंत्रालय के रेल संरक्षा आयोग के परिमण्डल कार्यालयों में, वरिष्ठ निजी सचिव के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नागर विमानन मंत्रालय, रेल संरक्षा आयोग, (वरिष्ठ निजी सचिव) समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2011 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा उनके वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों में उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।